प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 25.10.2024

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ के दौरान एक लुटेरा अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लूट के मोबाइल फोन, चोरी की मोटरसाइकिल व 01 तमंचा, 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस

दिनांक 24.10.2024 को थाना कोतवाली नगर पर सुबोध नामक एक व्यक्ति द्वारा सूचना दी जब वह दिल्ली से शहीद स्थल मैट्रो स्टेशन पर आया और अपने बेटे को उनको वहां से ले जाने के लिए फोन किया। उसी दौरान काले रंग की अपाचे मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति आया और मोबाइल छीन लिया। आगे इसी व्यक्ति के द्वारा हापुड़ तिराहे के पास आशुतोष नाम के अन्य व्यक्ति जो फोन पर बात कर रहे थे, उनका मोबाइल छीन लिया गया। उक्त दोनों घटनाओं की प्राप्त सूचना के आधार पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया व अभियुक्त की तलाश हेतु टीमें गठित की गई।

कार्यवाही का विवरणः-

आज दिनांक 25.10.2024 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर विजयनगर फ्लाई ऑवर के पास चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्तियों को रुकने के लिए कहा तो इन्होंने मोटरसाइकिल को कच्चे रास्ते की तरफ भगाते हुए पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जबावी फायरिंग में एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी है एवं दूसरा व्यक्ति मौके से फरार हो गया है। नाम पता पूछने पर अपना नाम मुकीम बताया है। कब्जे से चार मोबाइल बरामद हुए जिनमें लूट के दोनो मोबाइल भी है जो रात्रि के समय घटना कारित की थी एवं एक अन्य मोबाइल को इसके द्वारा दिल्ली से लूटना बताया है, चोरी की मोटरसाइकिल, एक तमंचा, एक जिन्दा व एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है।

नाम पता अभियुक्त

मुकीम कुरैशी पुत्र मोबीन कुरैशी निवासी अर्थला संजय कालोनी सिद्धकी पार्किंग के पास उम्र-28 वर्ष

बरामदगी

1- चार मोबाइल फोन(तीन लूट व एक अन्य)

2- चोरी की एक मोटरसाइकिल

3- एक तमंचा, एक जिन्दा व एक खोखा कारतूस।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम

थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा अवैध आतिशबाजी पटाखों का विक्रय करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध मिश्रित आतिशबाजी पटाखे बरामद।

दिनांक 24.10.2024 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अवैध अतिशबाजी पटाखों का विक्रय करने वाला अभियुक्त नरेन्द्र उर्फ नीशू पुत्र राजेन्द्र निवासी गली नम्बर 03 नन्द नगरी थाना मोदीनगर गाजियाबाद को चौकी क्षेत्र बस अडडा से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से अवैध मिश्रित आतिशबाजी पटाखों के 02 प्लास्टिक के बन्डल बरामद हुए। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण -

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अधिक लाभ कमाने के लिए इन पटाखों को बेचने के लिए जा रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकडा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता-

नरेन्द्र उर्फ नीशू पुत्र राजेन्द्र निवासी गली नम्बर 03 नन्द नगरी थाना मोदीनगर गाजियाबाद, उम्र 27 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त घटना के संबंध में थाना मोदीनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरणः-

अवैध मिश्रित आतिशबाजी पटाखों के 02 प्लास्टिक के बन्डल बरामद।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस टीम द्वारा बैग लूटने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे से 168 चांदी के छत्र छोटे बड़े , एक तमंचा 315 बोर , एक जिन्दा कारतूस 315 बोर , एक खोखा कारतूस 315 बोर बरामद।

दिनांक 07.10.24 को वादी श्री मनोज खण्डेवाल पुत्र केदारनाथ निवासी पहाडगंज नई दिल्ली ने सूचना दी कि दिनांक 07.10.24 को मोटर साइकिल सवार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मेरा बैग जिसमें जरूरी कागजात ,रूपये व चांदी के छत्र छिनकर ले गये। उपरोक्त सूचना पर थाना नन्दग्राम पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना नन्दग्राम पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण-- उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए, थाना स्तर पर टीमों का गठन कर घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों व लोकल इनपुट की मदद से दिनांक 25.10.24 को मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान अभियुक्त मनीष को पकड़ने की कोशिश करते हुए ,अभियुक्त मनीष उपरोक्त को भट्टा न0 5 राजनगर एक्सटेंशन के पास से अभियुक्त मनीष ने पुलिस को देखकर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। तत्काल पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ करते हुए अभियुक्त मनीष के पैर में गोली लगने से घायल होकर गिर पड़ा जिसके कब्जे से लूटी हुई 168 चांदी के छत्र छोटे बड़े एवं एक अदद तमंचा 315 बोर , एक अदद जिन्दा कारतूस , एक अदद खोखा कारतूस बरामद हुआ। अभियुक्त मनीष उपरोक्त उपचार हेतु जिला अस्पताल गाजियाबाद भर्ती कराया है। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के लगातार प्रयास किये जा रहे है। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अभि0 का नाम व पता--

मनीष शर्मा पुत्र रविन्द्र शर्मा निवासी –मकान न0 557 भटीपुरागढ रोड थाना किठौर जनपद मेरठ उम्र करीब 29 वर्ष

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त मनीष उपरोक्त के विरूद्ध थाना परतापुर पर 01 अभियोग हत्या का प्रयास संबंधी, थाना भावनपुर पर 01 अभियोग लूट संबंधी पंजीकृत है। तथा थाना नन्दग्राम पर 01 अभियोग लूट संबंधी पंजीकृत है।

पूछताछ का विवरण-- गिरफ्तार किये गये अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि दिनांक 07/10/2024 को मैं दिल्ली चांदनी चौक गया था वहीं पर मैंने एक व्यक्ति को बैग में सामान रखते हुए देखा था। तभी मैं उस व्यक्ति का पीछा करना शुरू कर दिया था। फिर मैने अपने साथियों के साथ मिलकर योजना बनायी। योजनाबद्ध तरीके से मैने अपने साथियों समीर व राजा उपरोक्त को लगातार उस व्यक्ति की सूचना दे रहा था तभी अपने साथियों को रोटरी गोलचक्कर सिटी फोरेस्ट के पास बुला लिया। और बताया कि एक स्कूटी पर काले रंग बैग रखकर जो व्यक्ति जा रहा है वही है और मै वही रुक गया ताकि स्कूटी सवार को शक ना हो की मै उसका पीछा कर रहा हूँ। मेरे साथी समीर व राजा ने मेरठ रोड पर गुलधर मेट्रो स्टेशन से पहले गिरिराज धर्म काटे के पास सर्विस रोड पर स्कूटी वाले व्यक्ति को तमंचा दिखाकर उससे बैग लूटकर भाग गये थे। उसके बाद हम तीनों राज नगर एक्सटेंशन में ही मोरटी गांव के जंगल में पहले से ही सोची हुई जगह पर मिले तथा बैग को खोलकर देखा तो उसमें से

कुछ चांदी के आभूषण निकले जो हमने एक पॉलिथीन में रखकर स्टेडियम के पास रोड किनारे झाडियो मे ही छिपा दिये तथा तमंचा भी वही पर छुपा दिया था।

बरामदगी का विवरण—

1. 168 चांदी के छत्र छोटे बडे
2. एक तमंचा 315 बोर, एक जिन्दा कारतूस 315 बोर, एक खोखा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली टीम--

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम ।

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 24.10.2024 को उ0नि0 श्री सुमित कुमार की लिखित तहरीर के आधार पर ब्लैक कलर की कार XUV 300 रजिस्ट्रेशन नंम्बर UK 07 FA 7007 के चालक द्वारा तेजी से कार चलाकर पुलिस की सरकारी मोटर साइकिल नं0 UP14AG 0932 में टक्कर मारकर घसीटते हुए ले जाना जिससे सरकारी मोटर साइकिल आग लग कर जल जाने के संबंध में थाना कौशाम्बी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। तत्काल थाना कौशाम्बी पुलिस द्वारा टीमें गठित कर दिनांक 24.10.2024 को पंजीकृत अभियोग के अभियुक्त प्रधुंन घिल्डियाल पुत्र मधुसुधन घिल्डियाल नि0- म0नं0 220 पैरामाउन्ट गोल्फ स्टेट, थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर स्थायी पता- म0न0 108 शान्ति विहार अजबपुर वाला देहरादून उत्तराखण्ड को चार पहिया वाहन सहित मैक्स हॉस्पिटल सै0-1 वैशाली से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:

प्रधुंन घिल्डियाल पुत्र मधुसुधन घिल्डियाल नि0- म0न0 220 पैरामाउन्ट गोल्फ स्टेट, थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर स्थायी पता- म0न0 108 शान्तिविहार अजबपुर वाला देहरादून उत्तराखण्ड।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 21.10.2024 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त मौहम्मद जैद अंसारी पुत्र जहीर अंसारी निवासी गली नं0 03 अल्फला मस्जिद के पास खुशहाल पार्क थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद द्वारा वादिया की नाबालिक पुत्री को बहला फुसलाकर ले जाना तथा शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 24.10.2024 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इनपुट व मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त मौहम्मद जैद अंसारी पुत्र जहीर अंसारी निवासी गली नं0 03 अल्फला मस्जिद के पास खुशहाल पार्क थाना ट्रोनिका सिटी को थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं और पीड़िता एक ही मौहल्ले में रहते हैं। घर से बाहर आते जाते हमारी मुलकात होती रहती थी। हम बातचीत करने लगे और दिनांक 20.10.2024 को मैं पीड़िता को बहला फुसलाकर ले गया तथा शादी का वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त नाम व पता -

मौहम्मद जैद अंसारी पुत्र जहीर अंसारी निवासी गली नं0 03 अल्फला मस्जिद के पास खुशहाल पार्क थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 20 वर्ष।

आपराधिक इतिहास

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा अवैध आतिशबाजी पटाखों का विक्रय करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध मिश्रित आतिशबाजी पटाखे बरामद।

दिनांक 24.10.2024 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अवैध अतिशबाजी पटाखों का विक्रय करने वाला अभियुक्त सोनू पुत्र रामवरन निवासी केशव नगर गली न0- 1 थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद को चौकी क्षेत्र गुलाव वाटिका से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से अवैध मिश्रित आतिशबाजी पटाखों के 05 कार्टन व 01 प्लास्टिक का कट्टा बरामद हुए। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण -

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैंने आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अधिक लाभ कमाने के लिए इन पटाखों को बेचने के लिए रख रखा था कि पुलिस ने पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता-

सोनू पुत्र रामवरन निवासी केशव नगर गली न01 थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 28 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त घटना के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरणः-

अवैध मिश्रित आतिशबाजी पटाखों के 05 कार्टन व 01 प्लास्टिक का कट्टा बरामद।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।